

प्रेषक,

सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक  
/पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 199

दिनांक 18/9/24

विषय- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु नीति/मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1078/15-7-2024-01(14)/2022 दिनांक 17 सितम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में नीति/मानक निर्धारित किया गया है।

शासनादेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति/मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
(भगवती सिंह) 18/9/2024  
सचिव।

पु0सं0-मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 199(1-8) दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ के सँज्ञानार्थ।
- 3- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 5- अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी तथा गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश में विहित व्यवस्थाओं के अनुपालन में अपने परिक्षेत्र के जनपदों से सम्बन्धित वांछित विद्यालयों के भौतिक परीक्षण/सत्यापन कराने के साथ ही विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को निर्धारित तिथि तक परिषद की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर अपडेट कराये जाने की प्रक्रिया का सतत अनुश्रवण करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- अपर सचिव (प्रशासन), मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 7- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उप सचिव (सिस्टम सेल/केन्द्रस्थापना), मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के अनुपालन में परीक्षा केन्द्र निर्धारण की समस्त कार्यवाही का सतत अनुश्रवण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(भगवती सिंह,  
सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 7 सितम्बर, 2024

विषय:- माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु नीति/मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/डी0ई0/191 दिनांक 06 सितम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षाओं केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किये जाने हेतु नीति/मानकों को निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने एवं नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति/मानक निर्धारित किये जाते हैं:-

1-परिषद की वेबसाइट पर विद्यालयों की आधार भूत सूचनाओं को अपडेट/प्रमाणित किया जाना:-

(क) वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से किया जायेगा।

(ख) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-1380/पन्द्रह-7-2019-1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 एवं वर्तमान नीति में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं एवं भौतिक संसाधन विषयक विभिन्न आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड किया जाय।

(ग) शासनादेश दिनांक 28-08-2019 एवं अन्य शासनादेशों के अनुपालन में वर्ष 2024 की परीक्षा हेतु विद्यालयों की जो आधारभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी थी, उनमें यदि

- i. इस वर्ष कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं है तो ऐसे विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं में किसी प्रकार की अपडेशन की कार्यवाही न की जाय।
- ii. इस वर्ष किसी प्रकार का कोई परिवर्तन/परिवर्धन वांछित है तो तदनुसार वांछित परिवर्तन/परिवर्धन की सूचना परिषद की वेबसाइट पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड की जायेगी, जिसकी

जॉच/परीक्षण वर्ष 2024 की सूचनाओं के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

(घ) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 1380/पन्द्रह-7-2019-1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 में उल्लिखित एवं सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड की गयी विभिन्न आधारभूत सूचनाओं/उपलब्ध सुविधाओं के भौतिक सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति (तहसील स्तरीय) का गठन किया जायेगा -

- |  |            |
|--|------------|
| i. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी।  | अध्यक्ष    |
| ii. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग के अभियंता जो सहायक अभियंता से निम्न स्तर के न हों।          | सदस्य      |
| iii. सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार।  | सदस्य      |
| iv. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अधिकृत सह जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य। | सदस्य सचिव |

(ङ) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से कराया जायेगा। भौतिक सत्यापनोपरान्त तहसील स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सम्बन्धित विद्यालय की आधारभूत सूचनाओं को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर ऑनलाइन अपडेट/प्रमाणित कराया जायेगा।

(च) परिषद के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव द्वारा स्वयं एवं उप सचिव स्तरीय टीमों का गठन कर अपने परिक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में रैंडम रूप से कम से कम 10 विद्यालयों (राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित) की आधारभूत सूचनाओं का सत्यापन कराया जायेगा, जिसमें वे विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के सत्यापन के साथ-साथ सम्बन्धित विद्यालय में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरा/वायस रिकार्डर/राउटर/डी0वी0आर0/मॉनीटर/हार्डस्पीड इण्टरनेट कनेक्शन इत्यादि के क्रियाशील होने एवं मॉनीटरिंग हेतु उक्त उपकरणों तथा डबल लॉक अलमारी को प्रधानाचार्य कक्ष से अलग कक्ष में स्थापित होने का सत्यापन भी करेंगे।

(छ) परिषद के पोर्टल पर विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं में, विद्यालयों में भारतीय कम्पनी द्वारा निर्मित डी0वी0आर0 एवं स्ट्रांग रूम में उच्च गुणवत्ता युक्त नाइट विजन सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही डी0वी0आर0 का नाम, यूजर आई0डी0, पासवर्ड इत्यादि की सूचना भी अपडेट करायी जाय।

(ज) विद्यालयों की प्रमाणित आधारभूत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण साफ्टवेयर द्वारा कराया जायेगा।

## 2- विद्यालयों के मध्य पारस्परिक दूरी का निर्धारण:-

(क) विगत वर्षों में विद्यालयों के मध्य परस्पर दूरी (जियोलोकेशन) का रिमोट सेंसिंग के माध्यम से परीक्षण कराया गया है। रिमोट सेंसिंग से परीक्षण कराने पर जिन विद्यालयों की जियोलोकेशन गलत पायी गयी है, ऐसे विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को ऑनलाइन प्रेषित कर प्रधानाचार्यों के माध्यम से पुनः अपलोड करायी जाय तत्पश्चात तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से ऐसे विद्यालयों की जियोलोकेशन को भौतिक रूप से सत्यापित कराया जाय। इसी भाँति उन विद्यालयों की जियोलोकेशन को अपलोड एवं सत्यापित कराया जायेगा जिनको नवीन मान्यता मिली है अथवा जिनकी जियोलोकेशन एवं पारस्परिक दूरी विगत वर्षों में अपलोड/सत्यापित नहीं करायी गयी है।

- (ख) नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा ऐसे विद्यालयों की जियोलोकेशन को पुनः त्रुटिरहित अपलोड किये जाने के लिए API युक्त मोबाइल एप विकसित किया गया है। इस एप को सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य और तहसील स्तरीय समिति के सदस्य अपने एन्ड्रॉयड फोन (वर्जन 10 या इससे ऊपर) में परिषद की वेबसाइट [upsmp.edu.in](http://upsmp.edu.in) से डाउनलोड कर लें।
- (ग) मोबाइल एप से विद्यालय का फोटो खींचते ही, विद्यालय की जियोलोकेशन, अक्षांश, देशान्तर और फोटो स्वतः ही परिषद की वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड हो जायेगा।
- (घ) प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड जियोलोकेशन का तहसील स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन में जियोलोकेशन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर तहसील स्तरीय समिति जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराते हुए शुद्ध जियोलोकेशन अपलोड करायेगी।
- (ङ) यदि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जानबूझकर विद्यालय के जियोलोकेशन की गलत/भ्रामक सूचना दी जाती है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऐसे प्रधानाचार्यों के खिलाफ सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव को प्रेषित की जायेगी।
- (च) तहसील स्तरीय समिति त्रुटिपूर्ण जियोलोकेशन वाले सम्बन्धित विद्यालयों में पहुंचकर पर अपने एन्ड्रॉयड फोन में डाउनलोड किये API युक्त मोबाइल एप पर अपनी आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉगिन कर विद्यालय के प्रांगण के अन्दर से विद्यालय के स्पष्ट नाम के साथ एक फोटो खींचकर एप पर ही प्रदर्शित **Verified** कॉलम पर विद्यालय की जियोलोकेशन को प्रमाणित करेंगी। तहसील स्तरीय समिति द्वारा अपडेट करायी गयी जियोलोकेशन अन्तिम मानी जायेगी। यदि इसके उपरान्त भी किसी विद्यालय की जियोलोकेशन त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो सम्बन्धित तहसील स्तरीय समिति के सदस्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।
- (छ) सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव, सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं उप शिक्षा निदेशकों द्वारा जियोलोकेशन और आधारभूत सूचनाओं के अपडेशन की सम्पूर्ण कार्यवाही का सतत पर्यवेक्षण किया जायेगा।

### 3-परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अनिवार्य अर्हतायें-

- (क) प्रवेश द्वार, प्रत्येक परीक्षा कक्ष, प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं, के रखने के स्ट्रांग रूम एवं उनके सीलिंग/पैकिंग रूम में वायस रिकार्डर युक्त दोनो ओर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हो।
- (ख) विद्यालय में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु प्रश्नपत्रों एवं अवशेष प्रश्नपत्रों को रखने के लिए प्रधानाचार्य कक्ष से पृथक दोनो ओर वॉयस रिकार्डर, नाइट विजन युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा सहित एक सुरक्षित कक्ष स्ट्रांग रूम हो, जिसमें प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रख-रखाव एवं उनके व्यवहरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन बिल्कुल न हो।
- (ग) वॉयस रिकार्डर युक्त दोनो ओर से सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से वेबकार्टिंग द्वारा मॉनीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से DVR के साथ राउटर डिवाइस एवं हाईस्पीड इण्टरनेट कनेक्शन विद्यालय में लगा हो।
- (घ) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कक्षों एवं स्ट्रांग रूम में लगे वॉयस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों के डी0वी0आर0 में रिकार्डिंग क्षमता न्यूनतम 30 दिनों तक की हो, ताकि परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान जनपद/मण्डल स्तर के सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि की किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।
- (ङ) परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रख-रखाव हेतु स्ट्रांग रूम में 02 लोहे की डबल लॉक युक्त अलमारी के साथ ही अवशेष प्रश्न पत्रों हेतु एक अलमारी डबल लॉक युक्त की अतिरिक्त व्यवस्था हो। इस प्रकार कुल 03 लोहे की डबल लॉक युक्त अलमारी की व्यवस्था हो।

- (च) उत्तर पुस्तिकाओं के समुचित रख-रखाव के लिए एक पृथक क्रियाशील सी0सी0टी0वी0 युक्त कक्ष में आवश्यकतानुसार लोहे की अलमारी/ट्रंक बाक्स की व्यवस्था हो।
- (छ) विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे का गेट लगा हो।
- (ज) विद्यालय के शिक्षण कक्षाओं की खिड़कियों में स्टील/लोहे की जाली के साथ ही मजबूत पल्ले लगे हो।
- (झ) विद्यालय के अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्स्टिंग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था हो। सभी अग्निशमन यंत्र क्रियाशील एवं अग्निशमन विभाग से नवीनीकृत हो।
- (ञ) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय हो। शौचालय की क्रियाशीलता तथा साफ-सफाई हेतु पानी की निर्बाध आपूर्ति हो।
- (ट) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाला विद्यालय मुख्य मार्ग/सम्पर्क मार्ग, जिसकी चौड़ाई दस फीट से कम न हो, से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके। राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस शर्त से छूट रहेगी।
- (ठ) विद्यालय में स्थाई विद्युत व्यवस्था हो। इसके साथ ही परीक्षाओं के निर्बाध संचालन तथा निर्बाध वेबकारिंटिंग हेतु वैकल्पिक पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के लिए पृथक से जेनरेटर व इनवर्टर की व्यवस्था भी हो।
- (ड) विद्यालय में अनिवार्यतः एक क्रियाशील कम्प्यूटर सिस्टम (मॉनीटर, सी0पी0यू0, यू0पी0एस0, की बोर्ड, माउस प्रिंटर सहित) एवं दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर हो।
- (ढ) मान्यता पत्र निर्गमन के पश्चात जिन विद्यालयों के परीक्षार्थियों के कम से कम दो बैच परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हों, वे विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु अर्ह होंगे। राजकीय विद्यालयों को इस शर्त से छूट रहेगी।

#### 4-परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अन्य शर्तें:-

- (क) सर्वप्रथम मानक पूर्ण करने वाले राजकीय विद्यालयों को तत्पश्चात अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को तथा सबसे अन्त में आवश्यकता होने पर स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों को उनको मेरिट गुणांक के अनुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा।
- (ख) ऐसे स्ववित्तपोषित विद्यालय जिनमें वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में संयुक्त रूप से कुल बालिका परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी, उन्हें सभी मानक पूर्ण करने की दशा में प्रस्तर-4(क) के अधीन केन्द्र निर्धारण करने में प्राथमिकता दी जायेगी। **जिन विद्यालयों के मेरिट अंक समान होंगे उनमें से जिस विद्यालय में हाईस्कूल के कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी उन्हें केन्द्र निर्धारण में वरीयता दी जायेगी।**
- (ग) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु प्रस्तर-(3) के अनुसार अनिवार्य अर्हता रखने वाले राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सर्वप्रथम न्यूनतम् गुणांक वाले स्ववित्तपोषित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवंटित किया जायेगा।

मानक के अनुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित कर लेने के पश्चात् आवश्यकतानुसार स्ववित्तपोषित विद्यालयों में से सर्वप्रथम सबसे उच्च गुणांक वाले स्ववित्तपोषित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा, जिसमें सबसे पहले न्यूनतम् गुणांक वाले राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवंटित किया जायेगा।

इसके पश्चात उसमें न्यूनतम गुणांक वाले स्ववित्तपोषित विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का आवंटन किया जायेगा।

(घ) वर्ष 2024 की परीक्षाओं हेतु सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित ऐसे राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त परीक्षा केन्द्र जिन्हें जनपद स्तरीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र सूची से निरस्त किया गया है एवं इस वर्ष अनर्हता सूची में सम्मिलित (राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त) परीक्षा केन्द्रों की पृथक-पृथक सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऑनलाइन प्रेषित कर उनकी अर्हता को प्रमाणित करा लिया जाय।

(ङ) राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता के सापेक्ष परीक्षार्थियों का आवंटन किया जायेगा।

दोनों पालियों में आवंटित परीक्षार्थियों की कुल संख्या न्यूनतम 250 एवं अधिकतम 2000 होगी, परन्तु किसी भी पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की कुल संख्या विद्यालय की एक पाली की धारण क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(च) परीक्षा कक्षाओं में परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिए 20 वर्गफीट (1.86 वर्गमीटर) का क्षेत्रफल निर्धारित है। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन एवं उपलब्ध फर्नीचर के सापेक्ष विद्यालय की धारण क्षमता के अनुसार ही एक पाली की परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों की संख्या आवंटित की जाय। धारण क्षमता के सापेक्ष परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जायेगा।

(छ) एक ही प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालयों को चिन्हित कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इसकी सूचना पोर्टल पर अपडेट की जायेगी।

(ज) परीक्षा केन्द्र पर यथासम्भव एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जायेगा।

(झ) एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य परीक्षा केन्द्र पर आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(ञ) परीक्षा केन्द्र बने विद्यालयों के मध्य परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन नहीं किया जायेगा।

(ट) परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने वाले बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथासम्भव बालक परीक्षार्थियों का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(ठ) उपरोक्त बिन्दु (छ) एवं (ज) में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड) संस्थागत/व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र से यथासम्भव 12 कि०मी० की परिधि में आने वाले विद्यालयों में निर्धारित किया जायेगा। विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता के दृष्टिगत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों को निकटस्थ या 15 कि०मी० की परिधि के अन्दर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है।

(ढ) प्रत्येक जनपद में अवस्थित विद्यालय जो प्रस्तर-(3) में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं एवं आवश्यक मानकों को पूर्ण करते हैं, तथा उन्हें नियमानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाता है तो उनकी हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को जहाँ स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहाँ उन्हें यथासम्भव 07 कि०मी० की परिधि के परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जायेगी।

- (ण) वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी संस्थागत एवं व्यक्तिगत बालिकाओं को, यदि उनका विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र में आवंटित किया जाय, अर्थात् उन्हें स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाये।
- (त) 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यदि उनका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तब जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थियों का सी0एम0ओ0 से निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यता का परीक्षण करते हुए उन्हें स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में ऐसे विद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथासम्भव 07 कि0मी0 के अन्दर स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि दिव्यांग परीक्षार्थियों को निकटस्थ परीक्षा केन्द्रों में ही समायोजित किया गया है।

#### 5-निम्नलिखित विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय:-

- (क) परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय की विभिन्न आधारभूत सूचनाओं को प्रधानाचार्य द्वारा समय से अपलोड नहीं किये जाने या त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाएं अपलोड किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्र पात्रता सूची से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्य को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध परिषदीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (ख) ऐसे विद्यालय, जिनमें वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में सचल दल एवं शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन/एस0टी0एफ0 के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा परीक्षा के समय सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और जिन विद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो।
- (ग) जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो तथा उत्तर-पुस्तिकाएं परीक्षा केन्द्र के बाहर लिखते हुए पकड़े जाने का तथ्य संज्ञान में आया हो।
- (घ) वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल/शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों/एस0टी0एफ0 द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर गम्भीर अनियमितताएं पायी गयी हों या हिंसात्मक, या आगजनी की घटनाएं हुई हों, या सम्बन्धित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो।
- (ङ) जिन स्ववित्तपोषित विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण एवं प्रधानाचार्य के मध्य विवाद हो।
- (च) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद हो तथा उनमें नियमानुसार प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त न हो, जिससे परीक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना हो।
- (छ) ऐसे विद्यालयों जिनके परिसर में प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के आवास अथवा छात्रावास निर्मित हों। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी।
- (ज) ऐसे विद्यालय जो दो खण्डों में निर्मित हो तथा उनके मध्य सार्वजनिक आवागमन हेतु कोई मुख्य सड़क/सम्पर्क मार्ग बना हो।
- (झ) ऐसे विद्यालय जिनकी धारण क्षमता (उपलब्ध शिक्षण कक्षाओं एवं फर्नीचर के सापेक्ष) एक पाली में 125 से कम हो। (राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी)
- (ञ) ऐसे विद्यालय जिनकी परीक्षा कक्ष की खिड़कियां सार्वजनिक सड़क या किसी संकीर्ण गली में खुलती हो। (राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी)

- (ट) ऐसे स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिनमें वर्ष 2024 की परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत **20 प्रतिशत** या अधिक हो।
- (ठ) ऐसे स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनमें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के संयुक्त रूप से कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 80 से कम हो।
- (ड) ऐसे विद्यालय जिनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही गतिशील हो।
- (ढ) ऐसे विद्यालय जिनके मुख्य प्रवेश द्वार या अन्य प्रवेश द्वार, परिसर, शिक्षण कक्षों/प्रशासनिक कक्ष के **ऊपर से कोई हाईटेशन विद्युत तार** गया हो।

**7-परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु गुणांक प्रदान किये जाने की प्रक्रिया :**

- (क) ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु परिषद की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड एवं जिला विद्यालय निरीक्षक तथा तहसील स्तरीय समिति के भौतिक सत्यापनोपरान्त अपडेट की गयी विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं एवं भौतिक संसाधन युक्त विभिन्न आधारभूत सूचनाओं के आधार पर अंक प्रदान करते हुए राजकीय विद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों की पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- (ख) मेरिट सूची तैयार करते समय विद्यालयों को निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उनके सम्मुख अंकित अंक प्रदान किए जायेंगे:-

क्रम	आधारभूत सुविधाएं	निर्धारित अंक
1	विद्यालय का स्तर	
	इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालय	20 अंक
	केवल हाईस्कूल स्तर के विद्यालय	10 अंक
	विद्यालय की श्रेणी	
	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	50 अंक
	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय	40 अंक
	स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय	20 अंक
2	परीक्षा संचालन हेतु विद्यालय में उपलब्ध उपयुक्त पक्के लिफ्टर्ड शिक्षण कक्ष (शिक्षण कक्ष से आशय केवल उन कक्षों से है जो शिक्षण कार्य हेतु निर्मित किये गये हैं और जिन्हें परीक्षा कक्ष के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। इसमें अन्य सभी प्रकार के कक्ष यथा-प्रयोगशाला, स्टाफ कक्ष, लाइब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, वैकल्पिक कक्ष आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इनमें उन शिक्षण कक्षों को भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा जो जर्जर अथवा असुरक्षित हैं। एक ही परिसर में यदि एक प्रबन्धक की किसी भी बोर्ड/काउन्सिल से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त एक से अधिक संस्थाएं या डिग्री कालेज या प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं, तो इनके शिक्षण कक्ष आदि को इस विद्यालय के शिक्षण कक्षों में कदापि सम्मिलित नहीं किया जायेगा)	प्रति शिक्षण कक्ष-05 अंक
3	विद्यालय में अध्ययन/अध्यापन सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में होने पर-	10 अंक
4	विद्यालय वर्ष 2024 में परीक्षा केन्द्र होने पर-	20 अंक
5	विद्यालय का वर्ष 2024 का हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रतिशत 90 अथवा 90 से अधिक होने पर-	10 अंक
	विद्यालय का वर्ष 2024 का इण्टरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 90 अथवा 90 से अधिक होने पर-	10 अंक
6	विद्यालय में स्मार्ट क्लास के संचालित होने पर-	10 अंक



7	विद्यालय द्वारा वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तरीय टॉप-10 छात्र-छात्राओं की सूची में स्थान लाने पर-	10 अंक
8	विद्यालय द्वारा वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तरीय टॉप-10 छात्र-छात्राओं की सूची में स्थान लाने पर-	20 अंक

8- परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा।

**जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति**

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| I.   | जिलाधिकारी  | अध्यक्ष    |
| II.  | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी | सदस्य      |
| III. | जिला विद्यालय निरीक्षक  | सदस्य सचिव |
| IV.  | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी   | सदस्य      |
| V.   | जिस तहसीलके परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार किया जाय उसके उपजिलाधिकारी               | सदस्य      |
| VI.  | जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य (जिनमें एक राजकीय व एक ग्रामीण क्षेत्र का अवश्य हो)          | सदस्य      |

9- जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से सत्यापित एवं सत्यापनोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/अपडेट की गयी आधारभूत सूचनाओं के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कराया जायेगा। तदनुसार प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के परीक्षण तथा अनुमोदन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए राज्य स्तरीय एवं जनपदीय संस्करणों में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी अपने स्तर से जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों के सूचनार्थ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति/शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक युक्तियुक्त कारणों/साक्ष्यों सहित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के समक्ष अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।

10- परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु परिषद स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा -

**परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति**

- |      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| I.   | शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,<br>माध्यमिक शिक्षा परिषद,<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | अध्यक्ष                 |
| II.  | सचिव,<br>माध्यमिक शिक्षा परिषद,<br>उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।                     | सदस्य सचिव/नोडल अधिकारी |
| III. | अपर सचिव,<br>मा0षि0प0,क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज/मेरठ/बरेली/                 | सदस्य                   |

वाराणसी तथा गोरखपुर (अपने-अपने परिक्षेत्र के लिये)

- IV. अपर सचिव (प्रशासन) सदस्य  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- V. उप सचिव(केन्द्रस्थापना) सदस्य  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ०प्र०,  
 मुख्यालय प्रयागराज।
- VI. उप सचिव (सिस्टम सेल) सदस्य  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ०प्र०,  
 मुख्यालय प्रयागराज।

11-

प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची के सम्बन्ध में छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से प्राप्त युक्तियुक्त कारणों/साक्ष्यों सहित निर्धारित रीति से प्राप्त प्रत्यावेदनों/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों को परिषद की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर अपलोड/प्रदर्शित किया जायेगा।

प्राप्त प्रत्यावेदनों/शिकायतों के आलोक में परीक्षा केन्द्रों के परीक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति प्राप्त होने पर जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद की वेबसाइट पर सभी त्रुटियों का आनलाइन निस्तारण करते हुए अपनी अभ्युक्ति सहित तथ्यपरक आख्या, जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं सम्बन्धित त्रुटि/विसंगति करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव संलग्न करते हुए परिषद कार्यालय की ई-मेल आई०डी० [upboardcentre2025@gmail.com](mailto:upboardcentre2025@gmail.com) पर ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समिति के सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्रों के ऑनलाइन अनुमोदन से सम्बन्धित सुस्पष्ट कार्यवृत्त निम्नवत् निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जायेगा जो जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा :-

क्रम	विद्यालय /परीक्षा केन्द्र का नाम का नाम	श्रेणी (राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं स्ववित्तपोषित)	निरस्त परीक्षा केन्द्र का नाम	श्रेणी	परीक्षा केन्द्र शासनादेश के किस प्रस्तर का उल्लंघन करता है। (उसकी संख्या व विवरण)	नवीन जोड़े गये परीक्षा केन्द्र का नाम	श्रेणी	साफ्टवेयर द्वारा प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र निरस्त करने/जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा नवीन परीक्षा केन्द्र जोड़ने के विषय में कारण सहित तथ्यपरक आख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ऑनलाइन निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में सामान्यतया किसी प्रकार का परिवर्तन एवं संशोधन वांछनीय नहीं हैं किन्तु केन्द्र निर्धारण हेतु मेरिट सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जो शर्तें एवं अंक निर्धारित किये गये हैं उनको पूर्ण किये जाने के पश्चात भी नकल विहीन परीक्षा कराये जाने की दृष्टि से संदिग्ध छवि या कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर, ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने

अथवा न बनाये जाने के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति स्वविवेक से निर्णय ले सकती है। उक्त निर्णय लेते समय जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विगत 03 वर्षों की बोर्ड परीक्षा के अनुभवों/रिकार्ड को देखा जाय तथा यथावश्यक एल0आई0यू0 की रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली जाय।

यदि विद्यालय द्वारा दी गयी त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाओं के कारण साफ्टवेयर से प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने सम्बन्धी त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/तहसील स्तरीय समिति/जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा, और उनके विरुद्ध जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, सम्बन्धित विद्यालय को 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने तथा प्रधानाचार्य को परिषदीय कार्यों से डिबार किया जायेगा।

- 12- जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को पुनः कोई आपत्ति है तो वह परीक्षा केन्द्रों की सूची अपलोड होने के 05 दिवस के अन्दर अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रत्यावेदनों पर परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लेते हुए परीक्षार्थियों के आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों को अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होंगे।
- 13- परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से चयनित कराये जाने के उपरान्त जनपदीय/परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा अन्तिम रूप से संस्तुत/अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों की (विद्यालय/परीक्षार्थियों के आवंटन सहित) सूची में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन की शक्ति शासन में निहित होगी।
- 14- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 58534/2011 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन्च द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 12-10-2011 का क्रियात्मक अंश इस प्रकार है:-

“We have heard learned counsel for the petitioner and are of the view that this is not a genuine public interests litigation, rather appears to be sponsored one, as an institution or a college cannot claim, as a matter of right, that it be also made examination centre, for the reason that this is for the examining body or for the educational authorities to decide as to which institution be made as examination centre for holding peaceful and fair examination. We, therefore, do not find any merit in this petition. It is, accordingly dismissed in limine.”

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या संख्या 56718/2017 डॉ0 सैयद महमूद इण्टर कालेज, भितरी, गाजीपुर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 का क्रियात्मक अंश भी उल्लेखनीय है:-

“Even otherwise, this Court is of the view that making examination Centre is a policy matter of the respondent-Board and any institution which does not meet the standards fixed by the Board cannot claim as a matter of right to be made centre for holding Board Examinations.

No direction, as such, can be given. The present petition is found devoid of merits and hence dismissed.”

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के अनुसार केन्द्र निर्धारण का दावा किसी संस्था का अधिकार नहीं है। यह परीक्षा संस्था और शैक्षिक प्राधिकारियों को निर्णय करना है कि शान्ति एवं शुचितापूर्ण परीक्षा संचालन हेतु किस संस्था को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।


माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सभी कार्यों को परिणामपरक बनाए जाने हेतु समयबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी कार्यों के सम्पादनार्थ निम्नांकित समय सारिणी का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायः—

क्रम	परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विभिन्न गतिविधियां	निर्धारित तिथि
1	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी भौतिक संसाधन युक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट <a href="http://upmsp.edu.in">upmsp.edu.in</a> पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि।	25 सितम्बर, 2024 तक
2	जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा रिमोट सेंसिंग में त्रुटिपूर्ण पाये गये विद्यालयों की त्रुटिरहित जियोलोकेशन विद्यालय के प्रांगण से API युक्त मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि।	30 सितम्बर, 2024 तक
3	परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने की अंतिम तिथि।	15 अक्टूबर, 2024 तक
4	विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति की अभ्युक्ति सहित आख्या को जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऑनलाइन परिषद की वेबसाइट <a href="http://upmsp.edu.in">upmsp.edu.in</a> पर अपलोड/अपडेट कराये जाने तथा की अंतिम तिथि।	20 अक्टूबर, 2024 तक
5	परिषद की वेबसाइट पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणित/अपडेट कराई गयी विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन प्रविधि से चयनित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची सार्वजनिक करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अवलोकनार्थ तथा परीक्षण हेतु परिषद द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि।	02 नवम्बर, 2024 तक
6	ऑनलाइन चयनित केन्द्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रधानाचार्यों के सम्यक परीक्षण हेतु अपनेजनपदों में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के आपत्तियों/शिकायतों से सम्बन्धित प्रत्यावेदन को ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल <a href="http://upmsp.edu.in">upmsp.edu.in</a> पर प्राप्त करने की तिथि।	06 नवम्बर, 2024 तक
7	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से प्राप्त आपत्तियों का सम्यक परीक्षण कर उनका समयान्तर्गत निस्तारण करना तथा आपत्तियों के तार्किक एवं औचित्यपूर्ण पाये जाने पर उन पर अन्तिम कार्यवाही करने हेतु जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति से अनुमोदित आख्या/संस्तुति सहित परिषद की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अग्रसारित करने की तिथि।	11 नवम्बर, 2024 तक
8	परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति से अनुमोदित विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	15 नवम्बर, 2024 तक
9	ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के त्रुटि/विसंगति एवं छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के प्रत्यावेदन/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को पुनः कोई आपत्ति है तो इस पर अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल <a href="http://upmsp.edu.in">upmsp.edu.in</a> पर प्रस्तुत करने की तिथि	20 नवम्बर, 2024 तक

10	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद की ई-मेल आई0डी0 पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण करते हुए विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	28 नवम्बर, 2024 तक
----	--	--------------------

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,



(आलोक कुमार)


विशेष सचिव।

संख्या-1070 (1)/15-7-2024-01(14)/2022 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 4- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/बरेली।
- 5- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
- 6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(संजय कुमार)

उप सचिव।

10	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद की ई-मेल आई0डी0 पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण करते हुए विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	28 नवम्बर, 2024 तक
----	--	-----------------------

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,

(आलोक कुमार)  
विशेष सचिव।

**संख्या-1078(1)/15-7-2024-01(14)/2022 एवं तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 4- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/बरेली।
- 5- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
- 6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)  
उप सचिव।